हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

चौदहवां सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 146

शुक्रवार, 31 मार्च, 2017/10 चैत्र, 1939(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

<u>समय : 11.00 बजे (पूर्वाह्न)</u>

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

1. <u>प्रश्नोत्तरः</u>

(i) तारांकित प्रश्नः

स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या 3693 तथा तारांकित प्रश्न संख्या 4057 से 4061 और 4063 के उत्तरों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा सम्बन्धित मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिए गए। सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या 3604 तथा तारांकित प्रश्न संख्या 4062 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए। तारांकित प्रश्न संख्या 4064 से 4087 तक के उत्तर सम्बन्धित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(ii) अतारांकित प्रश्नः

अतारांकित प्रश्न संख्या 1720 से 1731 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

12.00 PM

2. स्वीकृत विधेयक सभा पटल पर:

सचिव, विधान सभा ने निम्न विधेयकों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी, जिन्हें सदन द्वारा पारित किए जाने के उपरान्त महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है:-

i.) हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन विधेयक, 2016 (2017 का अधिनियम संख्यांक 4);

ii.) हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितिय संशोधन) विधेयक, 2016 (2017 का अधिनियम संख्यांक 5); और

iii.) हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 6)।

3. कागज़ात सभा पटल पर:

(1) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी :-

(i) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 (वित्त लेखे खण्ड-I एवं खण्ड-II) हिमाचल प्रदेश सरकार;

(ii) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 (विनियोग लेखे) हिमाचल प्रदेश सरकार;

(iii) भारत के नियन्त्रक एवं महोलेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 (राज्य के वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार;

(iv) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (आर्थिक क्षेत्र) हिमाचल प्रदेश सरकार;

(v) भारत के नियन्त्रक एवं महोलेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 (राजस्व क्षेत्र) हिमाचल प्रदेश सरकार; और

(vi) भारत के नियन्त्रक एवं महोलेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) हिमाचल प्रदेश सरकार;

(2) **श्रीमती विद्या स्टोक्स, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी :-

i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्यान विभाग, प्रशासनिक अधिकारी, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याः एच0टी0सी0ए(3)-3/2003 (ए.ओ.) दिनांक 17.02.2017 व 04.03.2017 व 24.03.2017 को प्रकाशित; और

ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्यान विभाग, निजी सचिव, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याः एच0टी0सी0ए(3)-1/01 दिनांक 17.02.2017 व 04.03.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27.02.2017 व 24.03.2017 को प्रकाशित।

(3) **श्री सुजान सिंह पठानिया, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं उर्जा मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी :-

i) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16; और

ii) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड का 6वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे, वर्ष 2014-15 (विलम्ब के कारणों सहित)।

(4) **श्री सुधीर शर्मा, शहरी विकास मन्त्री** द्वारा प्राधिकृत श्री मुकेश अग्निहोत्री, उद्योग मन्त्री ने हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2004 की धारा 28(5) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण, निगम विहार, शिमला के वार्षिक लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखी।

(5) **श्री अनिल कुमार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री** द्वारा प्राधिकृत श्री धनी राम शांडिल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

i) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118(5) के अन्तर्गत पंचायत के लेखों का संपरीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16; और

ii) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 186(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) संशोधन नियम, 2017 जोकि अधिसूचना तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 14.03.2017 को प्रकाशित।

4. <u>सदन की समिति के प्रतिवेदनः</u>

श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2016-17) ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का **170वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (दशम् विधान सभा) जोकि समिति के 60वें मूल प्रतिवेदन (दशम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **ग्रामीण विकास विभाग** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का **49वें मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 60वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **सहकारिता विभाग** से सम्बन्धित है।

5. <u>नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्तावः</u>

(1) **श्रीमती सरवीन चौधरी** ने निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं चर्चा कीः-

दिनांक 2 फरवरी, 2017 को पंजाब केसरी समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचार शीर्षक "**ए0डी0एम0 से लगाई लापता बेटी को ढूंढने की गुहार**" से उत्पन्न स्थिति।

माननीय मुख्य मन्त्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(2) **श्री बिक्रम सिंह** ने निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं चर्चा कीः-

दिनांक 28 मार्च, 2017 को दिव्य हिमाचल समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचार शीर्षक "**वाशिंग मशीन और साइकिल के भी सरकार ने वसूले पैसे**" से उत्पन्न स्थिति।

माननीय उद्योग मन्त्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

6. <u>सांवधिक ईकाई हेतु मनोनयनः</u>

श्रीमती विद्या स्टोक्स, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत कियाः-

"हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी एवं वानिकी अधिनियम 1986 की धारा 11 (1) बी (7) के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश विधान सभा के दो सदस्यों को डा0वाई0एस0 परमार, औद्योनिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी की अभिषद् (सीनेट) में दो वर्ष के लिए जिस दिन से अधिसूचना ज़ारी हो तथा उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत स्टेटेच्यूट तथा रेगुलेशन के अधीन मनोनीत करने के लिए यह सदन माननीय अध्यक्ष महोदय को प्राधिकृत करता है।"

प्रस्ताव स्वीकार।

12.30 PM

7. <u>विधायी कार्यः</u>

<u>सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण</u>

(i) **श्री कौल सिंह ठाकुर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 3) पर विचार किया जाए।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।
खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।
खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री ने यह भी प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 3) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 3) पारित हुआ।

(ii) **श्री कौल सिंह ठाकुर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश चिकित्सीय सेवा-व्यक्ति तथा चिकित्सीय सेवा-संस्था (हिंसा और सम्पत्ति के नुकसान का निवारण) संशोधन विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 4) पर विचार किया जाए।

श्री सुरेश भारद्वाज ने बिल पर चर्चा की।

माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री कौल सिंह ठाकुर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री ने यह भी प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश चिकित्सीय सेवा-व्यक्ति तथा चिकित्सीय सेवा-संस्था (हिंसा और सम्पत्ति के नुकसान का निवारण) संशोधन विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 4) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

हिमाचल प्रदेश चिकित्सीय सेवा-व्यक्ति तथा चिकित्सीय सेवा-संस्था (हिंसा और सम्पत्ति के नुकसान का निवारण) संशोधन विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 4) पारित हुआ।

(iii) **श्री धनी राम शांडिल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा केन्द्र (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 5) पर विचार किया जाए।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 24 पर माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री ने संशोधन प्रस्तुत किया।

संशोधन स्वीकार हुआ।

खण्ड 24 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना।

खण्ड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27 और 28 विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री धनी राम शांडिल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री ने यह भी प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा केन्द्र (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 5) को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा केन्द्र (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 5) संशोधित रूप में पारित हुआ।

8. <u>नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख</u>ः

सर्वश्री सुरेश भारद्वाज, सुरेश कुमार, महेश्वर सिंह, गुलाब सिंह ठाकुर एवं श्री गोविन्द सिंह ठाकुर, माननीय सदस्यों की ओर से नियम-324 के अन्तर्गत विषय उठाए गए समझे गए तथा सम्बन्धित मन्त्रियों द्वारा उनके उत्तर दिए गए समझे गए।

8 (क) <u>सरकारी प्रस्ताव</u>ः-

माननीय संसदीय कार्य मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

(राष्ट्रीय गीत गाया गया)

(अपराह्न 12.58 बजे सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई)